भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4004

25.03.2025 को उत्तर के लिए नियत

विद्युत चालित वाहनों के प्रति उपभोक्ताओं की धारणा

4004. **श्री छोटेलाल:**

श्री जिया उर रहमान:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि उपभोक्ताओं के मन में आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहनों की तुलना में विद्युत चालित वाहनों (ईवी) की विश्वसनीयता और उनके जीवनकाल के बारे में संशय रहता है; और

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्युत चालित वाहनों (ईवी) के पास आईसीई वाहनों की तरह स्थापित और सुपरिचित प्रौद्योगिकीय आधार नहीं है, सरकार द्वारा इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): पिछले पांच वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के अंगीकरण में वृद्धि से ऐसा प्रतीत होता है कि ईवी में उपभोक्ता का विश्वास बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन की पैठ का स्तर 2019-20 के 0.71% से बढ़कर वित्त वर्ष 23-24 में 6.82% हो गया है। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में इलेक्ट्रिक वाहन की पैठ 7.35% है।

(संख्या लाख में)

श्रेणी /वित्त वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (18/03/25 तक)
पंजीकृत आईईसी वाहनों की संख्या	244.20	173.79	179.86	211.49	229.60	232.98
पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की संख्या	1.74	1.43	4.59	11.83	16.81	18.48
ईवी की पैठ	0.71%	0.82%	2.49%	5.30%	6.82%	7.35%

स्रोत: वाहन पोर्टल

इसके अलावा, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों में संरचनात्मक चुनौतियों, जैसे-वाहनों की उच्च लागत, चार्जिंग अवसंरचना की कमी और बैटरी के निष्पादन तथा सुरक्षा के बारे में उपभोक्ता की धारणाओं के निदान के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर आर्थिक प्रोत्साहन/सब्सिडी देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. **भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम चरण-II:** फेम-II स्कीम 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल 11,500 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन के साथ लागू की गई थी। इस स्कीम के तहत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-चौपहिया, ई-बसों और इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को प्रोत्साहित किया गया। इस स्कीम के तहत 16 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आर्थिक सहायता दी गई है। फेम-II स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना के लिए 839 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया था।

ii. **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ईड्राइव) स्कीम:** 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस स्कीम को 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किया गया था। यह दो वर्ष की स्कीम है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है जिसमें ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन शामिल हैं। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

iii. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए पीएलआई स्कीम:** सरकार ने 12 मई, 2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावॉट घंटे की एसीसी बैटरियों के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

iv. विद्युत मंत्रालय ने 17.09.2024 को "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और प्रचालन के लिए दिशानिर्देश-2024" जारी किए हैं, जो देश में ईवी चार्जिंग अवसंरचना नेटवर्क की स्थापना के लिए मानकों और प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार करते हैं। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने 10.01.2025 को "बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश" भी जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य देश में मजबूत ईवी चार्जिंग अवसंरचना को सुविधाजनक बनाना है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 28 सितंबर, 2022 के सां.आ. 4567 (अ.) के जरिए ऑटोमोटिव उद्योग मानकों, एआईएस:156 [एल (चार पहिया से कम मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल) श्रेणी के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं] और एआईएस:038 (संशोधन 2) [एम श्रेणी के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं, (यात्री वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाला मोटर वाहन) एन श्रेणी (माल वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाला मोटर वाहन) इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन] में संशोधन किया है ताकि एल, एम और एन श्रेणी के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन की ट्रैक्शन बैटरी के लिए तकनीकी अपेक्षाएँ निर्धारित की जा सकें। उक्त संशोधन 01 दिसंबर , 2022 से लागू हैं।

******